प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 -- फारम सं0 562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार – अतिक्रमण वाद सं0 01 वर्ष 2021–22

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
23.10.2021	निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 230 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री संतोष महतो वो श्री गोविन्द महतो, पिता श्री भाकुर महतो, सा0 पुनर्वास क्षेत्र जैना के द्वारा मौजा – जैना, थाना सं0 – 10, खाता सं0 – 40, प्लॉट सं0 445 अंश, रकवा 0.20 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आलोक में इस कार्यालय से दिनांक 31.07.2021, 10.08.2021 एवं 24.08.2021 के द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए कागजात की मॉग की गई। श्री संतोष महतो वो श्री गोविन्द महतो, पिता श्री भाकुर महतो के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अपने दावे से संबंधित कोई कागताज कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। पुनः दिनांक 23.09.2021 को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल अमीन एवं निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के अमीन के साथ अतिक्रमित भूमि को चिन्हित करते हुए नक्शा की मॉग की गई है। दिनांक 29.09.2021 को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल अमीन एवं निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के अमीन के द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन एवं नक्शा कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तगर्त अतिक्रमणकर्त्ता को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक **08.11.2021** को उपस्थापित करें। 23/10/2021 अंचल अधिकारी जरीडीह।	निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास से प्राप्त पत्र एवं अतिक्रमणकारियों को निर्गत नोटिस तथा रा० उप० निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन आदि अभिलेख में संधारित है। 23.10.21
08.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय द्वारा निर्गत अतिक्रमण वाद से संबंधित नोटिस के आलोक में श्री संतोष महतो वो गोविन्द महतो अनुपस्थित। पुनः अंतिम नोटिस निर्गत करते हुए अभिलेख दिनांक 22.11.2021 को उपस्थापित करें। 8/11/2021 अंचल अधिकारी जरीडीह।	निर्गत नोटिस का तामिला संधारित है। 8.11.21
22.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस के आलोक में श्री संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा उक्त भूमि से संबंधित पर्चा, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को दिये गये आवेदन एवं निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास	प्राप्त आवेदन एवं निर्गत पत्र की प्रति संधारित है। 22/11/21

	द्वारा निर्गत नोटिस Case No 18A/62-63, Award No – 494 से संबंधित कागजात जमा किया गया। उनके द्वारा लिखित में बताया गया कि उपरोक्त भूमि बहादुर सिंह पिता भैरव सिंह, ग्राम जरीडीह, बोकारो को पर्चा सं0 1768 के द्वारा 0.10 एकड़ भूमि प्राप्त है एवं शेष 0.10 एकड़ भूमि विनोद बिहारी महतो पिता स्व0 भोलानाथ महतो, ग्राम कनारी, बोकारो के द्वारा अपने दखल–कब्जे में रखते हुए मकान का निर्माण किया गया है, एवं पर्चा निर्गत करने हेतु संबंधित विभाग को आवेदन दिया गया है। उपरोक्त भूमि पर दोनो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित मकान पर संतोष महतो वो गोविन्द महतो रह रहे है। बहादुर सिंह पिता भैरव सिंह, ग्राम जरीडीह, बोकारो एवं विनोद बिहारी महतो पिता स्व0 भोलानाथ महतो, ग्राम कनारी, बोकारो को नोटिस निर्गत करते हुए प्राप्त कागजातों का सत्यापन हेतु निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को पत्र भेजे। अभिलेख दिनांक 01.12.2021 को उपस्थापित करें। 22/11/2021 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
01.12.2021	अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय पत्रांक 850 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को Case No 18A/62-63, Award No – 494 से संबंधित प्राप्त कागजातों का सत्यापन हेतु पत्र भेजा गया था। सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करे। 01/12/2021 अंचल अधिकारी जरीडीह।	निर्गत पत्र की प्रति संधारित है 01/12/21
14.12.2021	अभिलेख उपस्थापित। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, बोकारो के पत्रांक 1055/विधि दिनांक 08.12.2021 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया कि इस अतिक्रमण वाद के संबंध में संतोष महतो एवं अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P(C) No. 4626/2021 दायर किया गया है। अतः माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होने के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें। 14/12/2021 अंचल अधिकारी जरीडीह।	रिट की प्रति संधारित है 14.12.21
01.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 73 दिनांक 31.01.2023, 67 दिनांक 27.01.2023 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के पत्रांक 13/रा0 दिनांक 07.01.2003 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P(C) No. 4626/2021 को खारिज किये जाने के उपरान्त उपरोक्त भूमि पर नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 5 के अन्तगर्त कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अतिक्रमणकर्त्ता को पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17/02/2023 को उपस्थापित करें। 01/02/2023 अंचल अधिकारी जरीडीह।	डी०पी०एल०आर० से प्राप्त स्वपत्र एवं अनु० पदा० से प्राप्त पत्र तथा नोटिस की प्रति संधारित है 01.02.23

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर का गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
17.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्यो में व्यस्तता के कारण अभिलेख पर कार्रवाई नहीं हो सकी। अभिलेख पुनः दिनांक 28.02.2023 को रखें। 17/02/2023 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
28.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संधारित है। अतिक्रमणकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में C.M.P. No. 84/2023 दायर करते हुए कार्यालय को सूचना उपलब्ध करायी गया है। उक्त वाद में किसी प्रकार का अतिक्रमण पर रोक लगाने का आदेश नहीं है। उपरोक्त के क्र में अतिक्रमणकर्त्ता को पुनः विधिवत् नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28/03/2023 को रखें। 28/02/2023 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
28/03/2023	अभिलेख उपस्थापित। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। मार्च के अंतिम सप्ताह रहने के कारण अभिलेख पर कार्रवाई नहीं हो सकी मार्च समाप्त के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें। 28/03/2023 अंचल अधिकारी जरीडीह,	
01/04/23	अभिलेख उपस्थापित। निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो के पत्रांक 153 दिनांक 27/03/2023 के द्वारा अतिक्रमणकारी श्री सतीश महतो पिता भागुर महतो का आवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त है। प्राप्त आवेदन के अवलोकन से पाया गया कि अतिक्रमणकारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार अतिक्रमण का नोटिस देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात उल्लेखित किया गया।	

उपरोक्त के आलोक में अतिक्रमणकारी अतिक्रमणकारी के विरुद्ध अतिक्रमण वाद की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास कोडरमा से त्वरित आवश्यक प्रतिवेदन की मांग करें। साथ ही पत्र की प्रति अपर समाहर्त्ता कोडरमा को भेजें।

अभिलेख प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) .../05/23
अंचल अधिकारी
जयनगर।

24/05/23 अभिलेख उपस्थापित।

निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास कोडरमा के पत्रांक-209 दिनांक-16/05/23 के द्वारा पुनर्वास क्षेत्र जौना के खाता नं०-40 सर्वे प्लॉट नं०-445 अंश रकबा 0.20 एकड़ भूमि पर श्री सतीश ~~कुमार~~ महतो, श्री गोविन्द महतो पिता श्री माकुर महतो पुनर्वास क्षेत्र जौना के द्वारा पुनर्वास हेतु अधिग्रहित भूमि को अतिक्रमित करने एवं उक्त सभी व्यक्तियों पर नियमानुसार पूर्व से दायर अतिक्रमण वाद पर सुनवाई कर तत्काल अतिक्रमण मुक्त करने का निदेश प्राप्त है।

अतः ~~बि० स०~~ झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम-1956 की धारा 6 के तहत अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित स्थल से दिनांक-26.06.23 तक अतिक्रमण स्वयं हटा के का नोटिस निर्गत करें। अन्यथा निर्धारित समयावधि के उपरांत दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अतिक्रमण हटाने पर

उपरान्त राशि वसूली अतिक्रमण कर्त्ता से की जायेगी,
अभिलेख दिनांक 26/06/2023 को रखें।

24/05/2023
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

03/07/2023 अभिलेख उपस्थापित।

इस कार्यालय पत्रांक 417 दिनांक 8/06/2023 के द्वारा संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन जरीडीह से अतिक्रमित भूमि के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई थी, उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमणकर्त्ता के द्वारा अतिक्रमित भूमि को दिनांक 27/06/2023 तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः दिनांक 15/07/2023 की तिथि निर्धारित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) को पत्र प्रेषित करते हुए प्रयाप्त मात्रा में महिला एवं पुरुष पुलिस बल के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु पत्र भेजें।

पत्र प्राप्ति के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।

03/07/2023
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

संलग्न
संयुक्त रू
से प्राप्त जाँ
प्रतिवेदन
की प्रति।

03/07/2

20/07/23 अभिलेख उपस्थापित। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी डॉ० अभय कुमार, प्रखण्ड पदाधिकारी, बराडीह के पत्रांक - 22 दिनांक 17/07/23 द्वारा सूचित किये हैं कि दिनांक - 15/07/2023 को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल नहीं रहने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या के कारण अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका।

पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (लेस्लीगंज) को पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल (महिला एवं पुरुष बल) उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजें।

तदोपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।

20/7/2023
अंचल अधिकारी
बराडीह।

(हाशिये में: प्रख० पदा० के पत्रांक ... संलग्न ...)

08/08/23 अभिलेख उपस्थापित। अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (लेस्लीगंज) के स्तर से उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकी।

पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (लेस्लीगंज) को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति एवं पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल (महिला एवं पुरुष बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजें।

तदोपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।

8/8/2023
अंचल अधिकारी
बराडीह।

28/08/23 अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय पत्रांक-589 दिनांक-08-08-23 के द्वारा दिनांक-19-08-23 को उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु अनुरोध किये जाने के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के ज्ञापांक-895/गो० दिनांक-18-08-23 के द्वारा दिनांक-25-08-23 को तिथि निर्धारित करते हुए डॉ० संजय कुमार, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, जरीडीह को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी डॉ० संजय कुमार, प्र० पशु० पदाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक-26 दिनांक-25/08/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-25/08/23 को अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए अतिक्रमित स्थल को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका।

पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) को पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल (महिला/पुरुष बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजें।

सोपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें।

[signature] 28/8/2023
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

05/02/2024 अभिलेख उपस्थापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के आदेश ज्ञापांक-120/गो० दिनांक-29-01-2024 एवं संशोधित आदेश ज्ञापांक-149/गो० दिनांक-04-02-2024 द्वारा दिनांक-05-02-2024 को तिथि निर्धारित करते हुए श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता, जरीडीह प्रखण्ड को दण्डाधिकारी के रूप में

प्रतिनियुक्त किये जाने एवं विधि व्यवस्था के [illegible] प्रसंग में श्री जयपाल महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह को प्रतिनियुक्त किये जाने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक-145 दिनांक-05-02-2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा-जैना थाना नं०-10 खाता सं० 40 प्लॉट सं०- 445 अंश रकबा-0.20 ए० भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए निदेशक, भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के अमीन एवं सहायक को हस्तगत करा दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/अंचल निरीक्षक/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल अमीन/भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के अमीन एवं सहायक द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि अतिक्रमित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए भूमि एवं पुनर्वास कार्यालय, बोकारो के अमीन एवं सहायक को हस्तगत करा दिया गया है। इस आशय की सूचना अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) एवं निदेशक, भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो को पत्र के माध्यम से भेजें।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

05/02/24
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

05/02/24
अंचल अधिकारी
जरीडीह।

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2024.08.26 12:46:23 +05:30
Location: 192.168.1.18